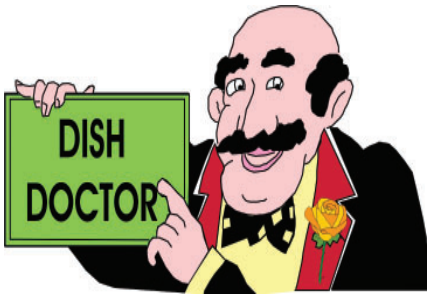

Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing,3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Queries To: +91-91082 32956

AUCTIONING SPECTRUM FOR 5G

Q: What are the recommendations Ministry of Communications asked from TRAI on Auctioning Spectrum for 5G and Space-Based Communication Services?

Narayana Rao,
Satellite Consultant, Bengaluru

Ans.: The Ministry of Communications, Government of India, has formally sought recommendations from the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) regarding the auction of spectrum in frequency bands identified for International Mobile Telecommunications (IMT)/5G services. This initiative, detailed in a reference letter dated September 13, 2021, also addresses spectrum allocation for space-based communication services.

KEY HIGHLIGHTS FROM THE REFERENCE

1. SPACECOM POLICY AND SPECTRUM DEMAND:

The Department of Space (DoS) has invited feedback on the Draft Spacecom Policy, which promotes private sector participation in satellite communication services. This policy

5जी के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी

प्रश्नः 5जी और अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी पर संचार मंत्रालय ने ट्राई से क्या सिफारिशें मांगी हैं?

नारायण राव,
सैटेलाइट सलाहकार, बंगलुरू

उत्तरः भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी)/5जी सेवाओं के लिए पहचाने गये फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से औपचारिक रूप से इसके संबंध में सिफारिशें मांगी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 13 सितंबर 2021 के संदर्भ पत्र अन्य संबंधित बातों के अलावा विस्तृत अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े विभिन्न तकनीकी व कानूनी पहलों को भी संबोधित करता है।

संदर्भ से मुख्य बिंदुएं

1. स्पेसकॉम नीति और स्पेक्ट्रम की मांग ः

अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) ने ड्रॉफ्ट स्पेसकॉम नीति पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की है, जो सैटेलाइट संचार सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देती है। इस नीति में भारत में संचालित लो अर्थ ऑर्बिट

includes provisions for Low Earth Orbit (LEO) and Medium Earth Orbit (MEO) satellite constellations operational in India. The demand for "Access Spectrum," which enables subscriber access via satellites, is expected to grow significantly.

2. RECOMMENDATIONS SOUGHT FROM TRAI:

Under Section 11(1)(a) of the TRAI Act, 1997, as amended in 2000, TRAI has been requested to provide comprehensive recommendations, including:

- Identification of appropriate frequency bands, band plans, block sizes, and reserve prices.
- The quantum of spectrum to be auctioned and associated conditions.
- Considerations for spectrum allocation for space-based communication services.

TRAI'S INITIAL ENGAGEMENTS

To address the Ministry's request, TRAI sought clarifications from the Department of Telecommunications (DoT) via letters dated September 27, 2021, and November 23, 2021. The queries included:

- Details of available frequency bands and spectrum quantum for space-based communication.
- Clarification on whether spectrum will be exclusively assigned or shared among multiple licensees.
- Insights into the existing spectrum assignment and pricing mechanisms for space-based services.

In its response on November 27, 2021, the DoT indicated that the information sought by TRAI regarding space-based communication services would require additional time to compile. To prevent delays in the 5G rollout, the DoT advised TRAI to proceed with consultations on terrestrial IMT/5G spectrum while deferring space-based communication discussions.

Subsequently, on August 16, 2022, the DoT provided the requested details and sought additional recommendations from TRAI.■

(एलईओ) और मीडियम अर्थ ऑर्बिट (एमईओ) सैटेलाइट नक्षत्रों के लिए प्रावधान शामिल हैं। 'एक्सेस स्पेक्ट्रम' की मांग, जो सैटेलाइटों के माध्यम से ग्राहकों की पहुंच को सक्षम बनाती है, में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

2. ट्राई से मांगी गयी सिफारिशेंः

ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1)(ए) के तहत, जिसे 2000 में संशोधित किया गया था, ट्राई से व्यापक सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें शामिल हैंः

- उपयुक्त फ्रीक्वेंसी बैंड, बैंड प्लान, ब्लॉक आकार और आरक्षित मूल्य की पहचान।
- नीलाम किये जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और उससे जुड़ी शर्तें।
- अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन पर विचार।

ट्राई की प्रारंभिक भागीदारी

मंत्रालय के अनुरोध को संबोधित करने के लिए ट्राई ने 27 सितंबर 2021 और 23 नवंबर 2021 के पत्रों के माध्यम से दूरसंचार विभाग (डॉट) से स्पष्टीकरण मांगा। प्रश्नों में शामिल थेः

- अंतरिक्ष आधारित संचार के लिए उपलब्ध फ्रीक्वेंसी बैंड और स्पेक्ट्रम क्वांटम का वितरण
- इस बात पर स्पष्टीकरण कि स्पेक्ट्रम को विशेष रूप से आवंटित किया जायेगा या कई लाइसेंसधारियों के बीच साझा किया जायेगा।
- अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के लिए मौजूदा स्पेक्ट्रम आवंटन और मूल्य निर्धारण तंत्र की जानकारी।

27 नंवबर 2021 को अपने जवाब में, डॉट ने संकेत दिया कि अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के बारे में ट्राई द्वारा मांगी गयी जानकारी को संकलित करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। 5जी प्रस्तुततिकरण में देरी को रोकने के लिए डॉट ने ट्राई को अंतरिक्ष आधारित संचार चर्चाओं को स्थगित करते हुए टेरस्ट्रियल आईएमटी/5जी स्पेक्ट्रम पर परामर्श के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी।

इसके बाद 16 अगस्त 2022 को दूरसंचार विभाग ने अनुरोधित विवरण उपलब्ध कराया और ट्राई से अतिरिक्त सिफारिशें मांगी। ■